न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-655RAABarmer2025-58RTA223 Roje Khan Vs Salim Khan etc

रोजे खान पुत्र सुमार खान,, जाति-मुसलमान, निवासी- कायम की बस्ती, खूईयाला, तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सलीम खान पुत्र मोयब खान,
2. मुखतार पुत्र मोयब खान,
3. मेहराब खान पुत्र मोयब खान,
   जातियान- मुसलमान, निवासीयान कायम की बस्ती, खूईयाला, तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामगढ़।
5. लाले खान पुत्र सुमार खान,
6. सदीक खान पुत्र सुमार खान,
7. सुभान खान पुत्र सुमार खान,
8. बिलवर खान पुत्र आरब खान
9. सोयब खान पुत्र सुमार खान,
10. बादल खान पुत्र आरभ खान,
11. मघन खान पुत्र आरभ खान,
    जातियान- मुसलमान, निवासीयान कायम की बस्ती खूईयाला, तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 नवंबर 2025 सहायक कलक्टर जैसलमेर राजस्व मूल वाद संख्या 49/2025 सलीम व अन्य बनाम तहसीलदार रामगढ इत्यादि

उपस्थित-

श्री सुनील के. मेराजा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन, पांच से ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2025 अनवान सलीम व अन्य बनाम तहसीलदार रामगढ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 नवंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 नवंबर को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात मौजा खुईयाला, तहसील रामगढ़, जिला जैसलमेर के खेत खसरा नम्बर 828 रकबा 12.2078 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ सलंग्न नजरिये नक्शे अनुसार भूमि का बंटवारा किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 26.08.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4, 6 से 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं इकबाली जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनाक 26.09.2025 को निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार रामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04.11.2025 पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धान्तो के प्रतिकूल पारित किये गये है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 1997 (2)एस.सी.सी. पेज संख्या 159 में यह अवधारित किया है कि यदि सी.पी.सी. में निर्धारित विधि के अनुसार तामिल नहीं की है तो पूरी कार्यवाही अवैध मानी जावेगी। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 26.08.2025 के जरिये विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, रामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था, किन्तु तहसीलदार, रामगढ़ द्वारा नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की अनदेखी की गई है, क्योंकि विभाजन प्रस्ताव से पूर्व दिनांक 20.09.2025 को अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार रामगढ़ को लिखित आपति देकर निवेदन किया कि उक्त वाद की सम्पति खसरा नंबर 828 में मेरा हिस्से अनुसार मेरा ट्युबवेल आदि बनाकर कब्जा काश्त एवं उक्त भूमि को मैं कई वर्षों से काश्त कर रहा हूं तथा उक्त भूमि का कब्जा के आधार पर बंटवारानामा मेरे नाम किया जावे। तहसीलदार द्वारा अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र पर गौर किये बिना तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करते हुए तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के विचाराधीन रहते अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2025 अनवान सलीम व अन्य वनाम तहसीलदार रामगढ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 नवंबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में प्रदत निर्देशों की पालना में तहसीलदार रामगढ द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए स्वयं मौके पर जाकर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी अपीलांट मौके पर हाजिर रहा है। तहसीलदार रामगढ द्वारा उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट के अलावा सभी खातेदार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से सहमत है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार रामगढ द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व नोटिस क्रमांक 771-779 दिनांक 04.09.2025 के जरिये सभी पक्षकारान् को सूचित किया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार रामगढ द्वारा सभी पक्षकारान् की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उनके कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक जोत तक आवागन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट के अलावा सभी राहखातेदारान् द्वारा मामले में इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पर भी किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उस पर सम्मनों की सम्यक तामील नही करवायी गई है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन की पोस्टल रसीद के मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वार तामील के संबंध में उठाया गया उज्र मान्य नहीं है। लिहाजा गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2025 अनवान सलीम व अन्य बनाम तहसीलदार रामगढ इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 नवंबर 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर